

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :-3/अ0प्र0-1-99/2014 08 /पटना, दिनांक :- 6.2.24

श्री ब्रजेश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता के विरुद्ध कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी अन्तर्गत बोरहर चौक से साहरघाट पथ निर्माण कार्य के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-2, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 142 अनु0 दिनांक 13.10.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3354 अनु0 दिनांक 03.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 15.12.2016 से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-1934-सह-पठित ज्ञांपाक-1935 अनु0 दिनांक 14.11.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 26/अ0प्र0 दिनांक 26.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

4. श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-(i) यथा पथ के कालीकृत अंश में पैच-पॉट के कारण पथ 5800 मी० से 6200 मी० के बीच ज्यादा क्षतिग्रस्त पाये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत था। जाँच का कार्य माह अगस्त सितम्बर में किया गया है, जो मानसून अवधि के अन्तर्गत है। वर्षा ऋतु में Patch Pot बनना स्वाभाविक है, जिसे अनुरक्षण कार्य के दौरान अनुरक्षित किया जाता है। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के बचाव बयान को स्वीकारात्मक होने का उल्लेख किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-(ii) यथा पथ के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं छठे कि०मी० में निर्मित HP culvert के उपर बना हुआ Crust उचित संपीड़न के अभाव में यातायात के दबाव में Bituminous सतह के साथ Depressed पाये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि HP culvert के उपर बना हुआ Crust Depressed पाये जाने हेतु आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि वर्षा के कारण उक्त depression हो गया था जो localised था। उक्त depression को ठीक करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया था। कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-2 के पत्रांक 142 अनु० दिनांक 13.10.2014 के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन में भी कोई वित्तीय क्षति नहीं होने का उल्लेख किया गया है एवं defect वाले कार्यों को सुधार हेतु सुझाव दिया गया है। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के बचाव बयान को स्वीकार योग्य होने का उल्लेख किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप संख्या-(iii) यथापथ के PCC भाग के कई पथाशों में पी०सी०सी० पथ के ऊपरी सतह पर स्टोन चिप्स exposed पाये जानेके संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि PCC पथांश में उपरी सतह के Stone chips exposed होने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि कोई

वैकल्पिक मार्ग नहीं रहने के कारण ग्रामीणों द्वारा PCC ढलाई के तुरन्त बाद वाहनों का आवागमन आबादी वाले भाग में शुरू कर दिया गया था। जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वैकल्पिक मार्गों के अभाव में यातायात के दबाव से ऐसे अंशों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। कार्य की प्रगति के दौरान PCC कार्य के Cube test से संबंधित गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन स्वीकार योग्य पाया गया है। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के बचाव बयान को स्वीकार योग्य होने का उल्लेख किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप संख्या—(iv) यथा ग्रामीण अंश में पी०सी०सी० पथ के किनारे फ्लैंक में मिट्टी का कार्य नहीं किया हुआ पाये जाने के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि PCC पथांश के Flank में मिट्टी नहीं पाये जाने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि ग्रामीणों द्वारा Drainage हेतु flank की मिट्टी को काट लिया गया था। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ग्रामीण अंश में PCC पथ के किनारे flank में अभी तक मिट्टी कार्य नहीं किया गया जिसे अविलंब कराने की आवश्यकता है। जाँच पदाधिकारी द्वारा अविलंब मिट्टी कार्य कराने का सुझाव दिया गया है। इस आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को अप्रमाणित होने का उल्लेख किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होने का निर्णय लिया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री ब्रजेश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगछिया को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-99/2014 333 /पटना, दिनांक :- 6.2.24

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी/नवगछिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं एवं श्री ब्रजेश कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव